

संख्या:शिक्षा-एच (प्रार0)(4) 4-8/2017-19
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171001

Dr. J. Chahal
m. the file
27/8/2021
27/8/2021
may 08/2021

दिनांक शिमला-171001

अगस्त, 2021

सेवा में,

समस्त उप-निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा हि0प्र0 Kangra

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)

18 AUG 2021

शिमला

विषय: 2021 में नए बच्चों के नामांकन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि हिमाचल प्रदेश सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 5 मार्च 2011 को अधिसूचित नियमों के नियम 6 में प्रावधित शक्तियों का प्रयोग कर हुए विद्यालयों में बालक/बालिका को पहली कक्षा में प्रवेश दिए जाने की तिथि जो कि 30.06.2021 को पूर्ण चुकि है की अवधि को 30.09.2021 तक विस्तारित करने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की है कि उक्त नियम में उल्लिखित अन्य शर्तों की अनुपालना भी सुनिश्चित करे।

भवदीय

+ उप-निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश शिमला-1

पृष्ठांक संख्या: सम संख्ययक दिनांक शिमला-171001. अगस्त, 2021

प्रतिलिपि :

1. सचिव, शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. रक्षक नस्ति ।

उप-निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

कार्यालय उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

3997-98 (28/08/2021)
हिमाचल प्रदेश शिमला-1.

पृष्ठांक संख्या:ई0-डी0-एन0के0जी0आर0(G-1)2021दिनांक 28-08-2021

प्रतिलिपि:-1 समस्त उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिला कांगड़ा को उक्त पत्र संदर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

2 Incharge, IT Cell, DDEE Kangra at Dharamshala for information & with the request to upload above in office web site.

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।